

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
राज्य परिवहन प्राधिकरण
परिवहन विभाग
5/9, अन्डर हिल रोड, दिल्ली.110054

एफ.न. एम. एल. ओ. (ए. आर. यु.)/ टी.पी.टी/2013/157

दिनांक-18.02.2014

सार्वजनिक सूचना

परिवहन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के अनुरोध पर विचार और दिल्ली में बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए डब्ल्यूपी (सी) सं. 13029/1985 में आईए सं. 316 में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश सं. 333 के अनुपालन एवं संबंध आई ए में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में तीन सीटों वाले ऑटो रिक्शा (टीएसआर) के लिए परमिट जारी करने के कैंप को 55,000 से बढ़ाकर 1 लाख की गई है।

माननीय उच्च न्यायालय ने सी. पी. डब्ल्यू संख्या 2571/2013 की सुनवाई के दौरान दिनांक 13/01/2014 के आदेश से कारपोरेट स्कीम के तहत रखे 7000 परमिट में से 5500 परमिट को व्यक्तिगत आवेदन के आधार पर आवंटित करने का आदेश दिया है। उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश की अनुपालना में परिवहन विभाग, जीएनसीटी, दिल्ली ने लेटर ऑफ इंटेंट (एलओआई) के आधार पर इन रिक्तियों को भरने के लिए संबंधित आवेदकों से आवेदन आमंत्रित करने का निर्णय लिया है। उपलब्ध स्थानों से अधिक आवेदन प्राप्त होने के मामले में विभाग 'ड्रॉ ऑफ लॉट्स' आयोजित करेगा।

परिवहन विभाग, दिल्ली सरकार, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत आने वाले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए 2750 तथा हरियाणा के अन्तर्गत आने वाले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए 2750 परमिट जारी करेगी।

दिल्ली में नये टी एस आर परमितों को प्राप्त करने के लिए मानदंड निम्नानुसार है:-

1. आवेदक को एक नया ऑटो रिक्शा (टी एस आर) खरीदना होगा, जो कि भारत चरण-III के द्रव्यमान उत्सर्जन मानक के अनुरूप या ऊपर का हो, और वह परिवहन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा अनुमोदित मॉडल सूची में भी शामिल हो।
2. टीएसआर के मालिक के पास एक वैध टी एस आर ड्राइविंग लाइसेंस और परिवहन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा जारी जन सेवा वाहन बैज होना चाहिए।
3. आवेदक के पास किसी अन्य टी एस आर या परिवहन/व्यवसायिक वाहन का परमिट नहीं होना चाहिए।
4. ऑटो रिक्शा परमिट, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 82 में निर्धारित एवं उसके अन्तर्गत दिए नियमों के अनुसार परमिट धारक की मृत्यु के मामले को छोड़कर, 5 वर्षों के लिए अस्थानान्तरणीय होगा। तत्पश्चात् स्थानान्तरण पर विचार किया जा सकता है। मृतक परमिट धारक के कानूनी वारिस के अवयस्क या वैध ड्राइविंग लाइसेंस व पी एस वी बैज

न होने के मामले में वह परिवहन विभाग, दिल्ली द्वारा जारी वैध डाइविंग लाइसेंस एवं बैज रखने वाले व्यक्ति को डाइवर के तौर पर रख सकता है।

5. किराया-क़य लीज, गिरवी दस्तावेज की अनुमति राष्ट्रीयकृत बैंक, अधिसूचित बैंक एवं आरबीआई द्वारा यथोचित अनुमोदित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों या केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी के लिए दी जाएगी।
6. टी एस आर में लगे इलैक्ट्रॉनिक किराया मीटर जीपीएस/जीपीआरएस समेकित और निचंत्रक, वजन एवं माप विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा यथोचित अनुमोदित जांचा हुआ व सीलबंद होना चाहिए। इलैक्ट्रॉनिक, किराया मीटर निर्माताओं/आपूर्तिकर्ताओं को यह सूनिश्चित करना होगा कि इलैक्ट्रॉनिक किराया मीटर के साथ समेकित जीपीएस/जीपीआरएस यंत्र दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी-मॉडल ट्रांजिट सिस्टम लिमि. (डीआईएमटीएस) प्रथम तल, महाराणा प्रताप आईएसबीटी भवन, कश्मीरी गेट, दिल्ली-110006 द्वारा यथोचित प्रमाणित हो। (website:www.dimts.in)
7. महिला आवेदकों को ऑटो रिक्षा के परमिट आवंटन में प्राथमिकता दी जाएगी।
8. उत्तर प्रदेश के लिए आवंटित ऑटो रिक्षा परमिट के धारकों को अपने वाहन में नारंगी रंग की 3 इंच चौड़ी पट्टी वाहन के हरे रंग वाले हिस्से के मध्य में दर्ज करनी होगी। इस पट्टी के मध्य में सफेद रंग से उत्तर प्रदेश के लिए एन. सी. आर. ऑटो भी लिखवाना अनिवार्य होगा।
9. हरियाणा के लिए आवंटित ऑटो रिक्षा परमिट के धारकों को अपने वाहन में गनी
रंग की 3 इंच चौड़ी पट्टी वाहन के हरे रंग वाले हिस्से के मध्य में दर्ज करनी होगी। इस पट्टी के मध्य में सफेद रंग से हरियाणा के लिए एन. सी. आर. ऑटो भी लिखवाना अनिवार्य होगा।
10. परमिट धारक को अपने वाहन के उपर एल. सी. डी. बोर्ड लगाना होगा जिस पर राज्य के नाम के साथ एन. सी. आर. परमिट दर्ज होगा।
11. सभी परमिट धारक को अपने परमिट पर सम्बंधित राज्य के उपयुक्त परिवहन अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित कराना होगा।

इसके अतिरिक्त मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 74 के अन्तर्गत दिए गए शक्ति के क्रम में राज्य परिवहन प्राधिकरण, दिल्ली एतत् द्वारा बढी सीमा के बदले नये परमिट जारी करने का इरादा अधिसूचित करता है। परमिट देने के लिए सार्वजनिक सूचना डीसी (एआरयू)/टीपीटी/2009/1248 दिनांक: 22.07.2010 के सुपर-सेशन में नये परमिट के लिए परमिट शर्तें निम्नलिखित हैं:-

- i) परमिट धारक, यात्रियों से सरकार द्वारा समय-समय पर अनुमोदित किराया ही लेंगे और परमिट जारी करने वाले प्राधिकरण द्वारा दिए गए किराया सूची की प्रति को वाहन में डाइवर सीट के पीछे दर्शाना होगा। जीपीएस/जीपीआरएस से युक्त इलेक्ट्रॉनिक किराया मीटर को कार्यरत अवस्था में रखना होगा।

- ii) परमिट धारक को जीपीएस/जीपीआरएस सेवा चार्ज का भुगतान एसटीए द्वारा निर्धारित दर एवं तरीके से करना होगा।
- iii) यात्रियों की संख्या ड्राइवर को छोड़कर 3 व्यस्क से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- iv) परमिट धारक/ड्राइवर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के अंदर किसी स्थान पर जाने से मना नहीं करेंगे।
- v) ड्राइवर को राज्य परिवहन प्राधिकरण (एसटीए), दिल्ली द्वारा निर्धारित ग्रे रंग की वर्दी पहननी होगी। उसे अपनी वर्दी में छाती के बाईं तरफ सार्वजनिक सेवा वाहन (पीएसवी) बैज लगाना होगा।
- vi) वाहन में ड्राइवर सीट के पीछे परिवहन विभाग की हेल्पलाइन नं. 42-400-400 को दर्शाना होगा। परमिट धारक का नाम व पता वाहन के बाहरी तरफ लिखना या चिपकाना होगा।
- vii) संचालन के समय वाहन को हमेशा साफ-सुथरा रखना होगा।
- viii) दिल्ली मोटर नियम, 1993 के नियम 66 में विनिर्दिष्ट के अनुसार वाहन अनिवार्य रूप से प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स एवं अग्नि शमन उपकरण से लैस होना चाहिए।
- ix) वाहन के अंदर ड्राइवर की फोटो सहित [पहचान/विवरण](#) को स्पष्ट रूप से दर्शाना होगा।
- x) परमिट धारक को ऑटो रिक्शा के परमिट शर्तों का पालन करना होगा, ऐसा नहीं करने पर उसके परमिट को निलंबित/निरस्त कर दिया जाएगा।

आवेदन प्रपत्र www.transport.delhigovt.nic.in पर व ऑटोरिक्शा यूनिट, बुराड़ी, परिवहन विभाग के कार्यालय में उपलब्ध है। आवेदक अपने आवेदन इस सार्वजनिक सूचना के जारी होने के 15 दिनों के भीतर ऑटोरिक्शा यूनिट, बुराड़ी में जमा करा सकते हैं।

उपायुक्त

ऑटो रिक्शा यूनिट, बुराड़ी
परिवहन विभाग

**GOVERNMENT OF NCT OF DELHI
TRANSPORT DEPARTMENT
5/9 UNDER HILL ROAD, DELHI-110054**

F. DC(ARU)/TPT/2011-12/

Dated:

PUBLIC NOTICE

The Hon'ble Supreme Court vide order No. 333 in IA NO. 316 in WP(C) No.13029/1985 & in connected IA's has increased the cap on issue of permits to Three-Seater Auto Rickshaw (TSR) in the NCT of Delhi from 55,000 to 1 lakh, considering the request of the department, GNCT, Delhi and keeping in view of the increase in population in and around Delhi.

Hon'ble High Court of Delhi while hearing the petition number CW (P) No. 2571/2013 has allowed release of 5500 permits for National Capital Region under individual application vide its order dated 13/01/2014 against 7000 permits kept for NCR under corporate scheme. In compliance to the direction as referred above, the Department of Transport, GNCT of Delhi has decided to invite application from the applicants to release 5500 permits for National Capital Region by way of granting Letter Of Intent (LOI). In case, the number of applications received is more than the vacancies available, draw of lots shall be conducted by the department.

Department of Transport, GNCT of Delhi is intending 2750 permits for National Capital Region Covered within the State of Uttar Pradesh and 2750 permits for National Capital Region Covered within the State of Haryana.

The eligibility criteria to obtain new auto-rickshaw permits for plying in National Capital Region as referred above are as under:-

1. The applicant should purchase a new Auto Rickshaw (TSR) which should conform to mass emission standard of Bharat Stage-III or above and the same should also be from the list of Models approved by the Transport Department, GNCT of Delhi.
2. The applicant should possess a valid TSR driving license. The applicants should also possess a Public Service Badge issued by the Transport Department, Govt. of NCT of Delhi.
3. The applicant should not possess any other TSR or Transport vehicle with permits.
4. The Auto Rickshaw permit would not be transferable for 5 years, except in case of death of permit holder as prescribed in section 82 of MV Act, 1988 and Rules framed there under. In case of legal heir of the deceased permit holder is minor OR not having valid driving license & PSV badge can hire a driver having valid Driving License and badge issued by Transport Department, Delhi.

5. Hire-Purchase lease, Hypothecation deed shall be allowed for Nationalized Bank, Scheduled Banks and Non-Banking Financial Companies duly approved by RBI or any other competent authority notified by the Central Government.
6. The Electronic Fare Meter fitted in TSR should be GPS/GPRS integrated and duly approved, tested and sealed by the Controller, Weights & Measures Department, GNCT of Delhi. The Electronic Fare Meter manufactures/suppliers shall ensure that GPS/GPRS device integrated with Electronic fare meter is duly certified by Delhi integrated Multi-Modal Transit System Ltd. (DIMITS), 1st Floor, Maharana Pratap ISBT Building, Kashmere Gate, Delhi-110006 (web. www.dimts.in).
7. All things being equal, women applicants shall be given priority in the issue of permits in each category.
8. The auto-rickshaw allowed for Uttar Pradesh will have three inch orange coloured strip horizontally in the centre of green colour. The phrase "NCR auto for Uttar Pradesh" in white colour will have to be indicated inside the strip.
9. The auto-rickshaw allowed for Haryana will have three inch purple coloured strip horizontally in the centre of green colour. The phrase "NCR auto for Haryana" in white colour will have to be indicated inside the strip.
10. Illuminated LCD display board will have to be installed on top of the auto-rickshaw clearly indicating that these auto-rickshaws are having NCR permits with the name of state.
11. They will be required to get counter signature from the respective transport authority of the Uttar Pradesh and Haryana.

Further, in exercise of power vested in it under Section 74 for the Motor Vehicle Act, 1988, the State Transport Authority, Delhi hereby notifies its intent to issue new permits against the increased limit. The permit conditions for new permits in supersession of the Public Notice DC(ARU)/Tpt/2009/1248 dated 22.07.2010 for grant of permit are as under:-

- (i) The permit holder shall charge fare from the passengers as approved by the Govt. as specified from time-to-time and a copy of fare table to be supplied by the Permit Issuing Authority shall be exhibited in the vehicle behind driver seat. The Electronic Fare Meter enabled with GPS/GPRS shall be kept in proper working condition.
- (ii) The permit holder shall pay GPS/GPRS service charges at the rate and manner prescribed by STA.
- (iii) The number of passengers shall not exceed 3 adults excluding driver.

- (iv) The permit holder/driver shall not refuse to ply to any place within NCT of Delhi and NCR area allowed under the permit.
- (v) The driver shall wear the uniform in Grey colour as prescribed by the State Transport Authority (STA), Delhi. He/she shall display the Public Service Vehicle Badge on uniform on his/her left side of the chest.
- (vi) The vehicle shall display the Helpline No. 42-400-400 of the Transport Department should be behind driver's seat. The name and address of the permit holder should be painted or affixed on the exterior of the body.
- (vii) The vehicle shall be kept neat and clean at all times during the operation.
- (viii) The vehicle must be equipped with the First Aid Box and Fire Fighting equipment as specified in Rules 66 of Delhi Motor Rules 1993. In respect of the Fire Fighting equipment, should be fitted inside the TSR NEAR DRIVER'S SEAT.
- (ix) The driver's identification/particulars along with his/her photograph to be displayed conspicuously inside the vehicle.
- (x) The permit holder should adhere to the permit conditions of Auto Rickshaw, failing which he/she shall be liable for the suspension/cancellation of the permit.

The application form is available at www.transport.delhigovt.nic.in and at Auto-rickshaw unit of Transport Department at Burari. The applicant can submit their application at Auto-rickshaw unit of Transport Department at Burari within 15 days from issue of this Public Notice.

This issues with the prior approval of competent authority.

DEPUTY COMMISSIONER
AUTORICKSHAW UNIT, BURARI

Phone number.....

